विधानसभा / महत्वपूर्ण

संचालनालय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण

ब्लॉक–2, तृतीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)
(Telephone-0771-2511974, email-directorateoffood@gmail.com, website- www.khadya.cg.nic.in)

क्रमांक 21 / वि.स. / 2025 अटल नगर, दिनांक 14/02/2025

प्रति,

कलेक्टर,
जिला–रायपुर, छत्तीसगढ़

विषयः– विधानसभा प्रश्न क्रमांक 91 अतारांकित द्वारा श्री राजेश मूणत, सदस्य विधानसभा।

कृपया विषयांतर्गत विभाग से प्राप्त विधानसभा प्रश्न क्रमांक 91 अतारांकित की प्रति संलग्न है। उपरोक्त विधानसभा प्रश्न के उत्तर यूनिकोड फॉन्ट में पूरक जानकारी सहित **दिनांक 17.02.2025** तक ई–मेल के माध्यम से भिजवाने का कष्ट करें। उत्तर के परिशिष्ट एक पेज से अधिक होने की स्थिति में सीडी अथवा ई–मेल **(dirfood.cg@nic.in/directorateoffood@gmail.com)** के माध्यम से परिशिष्ट की जानकारी यूनिकोड फॉन्ट में हार्ड कॉपी एवं साफ्ट कॉपी सहित उपलब्ध कराने का कष्ट करें। (विधानसभा प्रश्न विभागीय वेबसाईट से भी डाउनलोड कर सकते है)

संलग्न–उपरोक्तानुसार

अपर संचालक
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप. संर
संचालनालय, रायपुर

पृ.क्रमांक– 22 / वि.स. / 2025 अटल नगर, दिनांक 14/02/2025

प्रतिलिपि :–

खाद्य नियंत्रक, जिला–रायपुर, छत्तीसगढ़ की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त विधानसभा प्रश्नों के उत्तर निर्धारित समय–सीमा में संचालनालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

अपर संचालक
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप. संर

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

प्रश्न

उत्तर भेजने का अन्तिम दिनांक : **25/02/2025**

वर्ग : 5 सदन में उत्तर देने का दिनांक : **04/03/2025** विभाग का नाम : **खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण**

विषय : **मार्च 2024 के बचत स्टॉक (जिला रायपुर) के सत्यापन में मिली गड़बड़ी पर कार्रवाई**

(**अतारांकित** प्रश्न क्रमांक : **91**) **श्रीराजेश मूणत**

क्या **खाद्य मंत्री** महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि -

(क) तारांकित प्रश्न 13(क्र.109) दिनांक 17 दिसंबर 2024 में दी गई जानकारी अनुसार जिला रायपुर के राशन दुकानों में मार्च 2024 के बचत स्टॉक सत्यापन में 31 दुकानों में अनियमितता पाई गई यदि हां तो इन दुकानदारों के विरूद्ध एफ.आई.आर. क्यों दर्ज नहीं कराई गई ? (ख) प्रश्नांश "क" में उल्लेखित 31 दुकानों में से 22 उचित मूल्य दुकानों में आर.आर.सी. के तहत वसूली की कार्रवाई एक समय सीमा के अन्दर करने में क्या कठिनाई है ?

Sent From : vidhan | **Sent Date :** 14/02/2025 11:05:15 |

Remark :

कले. रायपुर